

# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 3ce9ea2b30edd3547ac2

Receipt Date : 24-Feb-2024 11:26:42 am

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Document Type : Partnership

District Name : Dhanbad

Stamp Duty Paid By : ASHOK KUMAR GUPTA

Purpose of stamp duty paid : PARTNERSHIP DEED

First Party Name : ASHOK KUMAR GUPTA

Second Party Name : KISHORE KUMAR MANDAL

GRN Number : 2400847114

NOTARY  
DHANBAD


-: This stamp paper can be verified in the jharnibandhan site through receipt number :-

TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS

*Ashok*  
Ashok Kumar Gupta  
Partner


TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS

*Kishore*  
Kishore Kumar Mandal  
Partner



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का इस दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अ



12 MAR 2024

Sl. No. Dt.



## (पार्टनरशीप डीड)

प्रथम पक्ष:- अशोक कुमार गुप्ता, पिता- स्व० वैजनाथ प्रसाद गुप्ता, पता-  
बैंक मोड़, शांति भवन, पो०- बैंक मोड़, थाना- बैंक मोड़, जिला-  
धनबाद- 826001


आधार सं०- 7602 0562 2800

बनाम्

द्वितीय पक्ष:- किशोर कुमार मंडल, पिता स्व० के० एन० मंडल, पता-  
कोचाकुलही, स्टीलगेट, पो०- सी०सी० डब्लू ओ०, थाना-सरायढेला,  
जिला- धनबाद (झारखण्ड)-826001

आधार सं०-7680 7589 0478

आज दिनांक-25-2-2024 को दोनों पक्षों ने आपसी सलाह मसवरा  
का गवाहगण की उपस्थिति में निम्नलिखित शर्तों के आधार पर  
पार्टनरशीप डीड- 02 मूल प्रति में पार्टनर के लिए तैयार हो रहा है  
जिसका एक-एक मूल प्रति दोनों पार्टनर के पास रहेगा जो कि भविष्य में  
काम आयेगा।



1. यह कि, उपरोक्त दोनों पक्ष मिलकर तिरुपति बालाजी डेभलपर,  
कार्यालय पता- स्टील गेट, कोचाकुलही, पो०- सी०सी० डब्लू ओ०,  
थाना-सरायढेला, जिला- धनबाद (झारखण्ड)-826001 के नाम से  
डेवलपर का काम करेंगे।

2. यह कि, उपरोक्त दोनों पार्टनर का इस डीड के आधार पर सामान्य  
अंश मुनाफे का 50% हिस्सा करके रहेगा।

TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS  
Partner  
TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS  
Partner

3. यह कि, उपरोक्त डेवलपमेंट कार्य हेतु द्वितीय पक्ष (किशोर कुमार मण्डल) ने पहले से रूपया 33,00,000/- (तीतीस लाख रूपयो मात्र) एवं प्रथम पक्ष अशोक कुमार गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता (जो जमीन मालकिन है) ने रूपया- 19,00,000/- (उन्नीस लाख रूपये मात्र) लगाया है। अतः फ्लैट बिक्री के बाद सबसे पहले द्वितीय पक्ष का 14,00,000/- (चौदह लाख रूपये मात्र) वापस होगा, जो 19 लाख और 33 लाख में जो अन्र है।

4. यह कि, उपरोक्त दोनों पार्टनर मिलकर केवल कुसुम विहार स्थित सुधा अपार्टमेंट के नाम से डेवलपर का काम करेंगे।

5. यह कि, उसी तरह उपरोक्त दोनों पार्टनर किसी भी कार्य को करने के लिए समान रूप रकम लगायेंगे एवं उनके द्वारा किये गये कार्य से जो लाभ होगा उसमें दोनों पार्टनर का आधा-आधा अर्थात 50% प्रतिशन करके होगा।


6. यह कि, उसी तरह उपरोक्त दोनों पार्टनर किसी भी कार्य को करने के लिए आधा-आधा करके रकम लगायेंगे एवं उनके द्वारा किये गये कार्य से अगर कोई हानी होगा, उसका उत्तरदायी दोनों पार्टनर का समान रूप से आधा- आधा करके भागीदार होंगे।

यह कि, उपरोक्त पार्टनरशीप डीड के आधार पर दोनों पार्टनर डेवलपर का काम करेंगे।

यह कि, कोई भी पार्टनर डेवलपर का काम पार्टनरशीप डीड के बगैर भी अलग-अलग से कर सकेंगे यह पार्टनरशीप डीड सिर्फ

सुधा अपार्टमेंट के लिए है।

TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS  
Partner




Partner

9. यह कि, उपरोक्त पार्टनरशीप डीड के आधार पर दोनों पार्टनर मिलकर एक संयुक्त बैंक खाता खोलेंगे जिसका संचालन दोनों दोनों हस्ताक्षर संयुक्त रूप से करेंगे तो ही मान्य होगा।
10. यह कि, दोनों पार्टनर का पार्टनरशीप डीड के अंतर्गत जो भी कमाई होगा सामान्य रूप से होगा अर्थात 50% करके होगा मुनाफा का होगा।
11. यह कि, अगर कोई पार्टनर में से किसी पार्टनर का देहान्त हो जाता है तो उसके स्थान पर उक्त पार्टनर के प्रथम श्रेणी के वारिशान उनका स्थान लेंगे, जिसमें दूसरा पार्टनर आपत्ति नहीं कर सकता है।
12. यह कि, अगर कोई पार्टनर बीच में पार्टनरशीप फार्म से अलग होना चाहे तो वे पार्टनर एक माह का लिखित नोटिस देकर अपना लगाये गये /रकम का 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लागत/रकम के देय की तिथि से लेकर अलग हो सकते हैं।
13. यह कि, दोनों पार्टनर प्रति वर्ष पार्टनरशीप डीड के अंतर्गत आयकर विभाग को अपने आय ब्यौरा देंगे और जो टैक्स देना होगा उसे संयुक्त रूप से मिलकर देंगे। दोनों पार्टनर इसके लिए उत्तरदायी होंगे।
14. यह कि, जमीन मालकिन (सुधा गुप्ता) पति- अशोक कुमार गुप्ता को 39 प्रतिशत उनका हिस्सा/अंश देने के बाद बचे हुए 61 प्रतिशत हिस्से को बेचने के बाद जो रकम आयेगा उसमें से इस

*Handwritten signature*  
Partner

TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS



*Handwritten signature*  
Partner




एकरारनामा में कंडिका 03 में वर्णित रकम 14,00,000/- (चौदह लाख) रूपया द्वितीय पक्ष को देने बाद जो रकम बचेगा दोनों पक्षों के लागत बराबर हो जायेगा तो बिल्डींग बनाने तथा जमीन मालिक को 39 प्रतिशत देने के बाद सारा खर्चा बाद कर जो शुद्ध मुनाफा होगा उसमें से दोनों पक्ष आधा-आधा हिस्सा होगा/अर्थात् 50-50 प्रतिशत करके।

15. यह कि, दोनों पार्टनर को यह अधिकार होगा कि वे पार्टनरशीप डीड के अंतर्गत जो कार्य होगा उसे सामान्य रूप से करेंगे।
16. यह कि, दोनों पार्टनर आपसी सहमति के आधार पर पार्टनरशीप डीड के अंतर्गत कोई भी निर्णय ले सकते हैं।
17. यह कि, अगर पार्टनरों में से किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे सक्षम न्यायालय से सुलझा सकते हैं। द्वारा पारित आदेश को दोनों पार्टनर मानने के लिए बाध्य होंगे।

18. यह दोनों पार्टनरशीप डीड के तथ्यों को सभी पक्षों ने गवाहों के मौजूदगी में पढ़कर, पढ़वाकर एवं सही पाकर शांत एवं स्थिर मन से अपना-अपना हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष बनाया जो बतौर प्रमाण रहे एवं भविष्य में काम आ सके।

गवाहों का हस्ताक्षर

1.



(MOHIT GUPTA)  
25-02-2024

TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS

*Ashok*  
Ashok Kumar Gupta  
अशोक कुमार गुप्ता

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

TIRUPATI BALAJI DEVELOPERS

*Kishore Kumar Mandal*  
Kishore Kumar Mandal  
किशोर कुमार मंडल

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

*T. K. Sankar*

12/02/24 | Page \*\* D  
T. K. SANKAR (Adv.)  
FNo. 12/02/2000